ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलवीर चौधरी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती नीलम चौधरी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री ब्रजेश शर्मा	01.04.13 से 19.7.15
2	श्री केहर सिंह	20.7.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कलियाडा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	10	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता–(क) में अन्तरित न करना	0.29
2	11	अनुदान का उपयोग न करना	9.60
3	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.32
4	14	सभा निधि से अनियमित भुगतान	0.05

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 4.1.2017 से 11.1.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15 व 4/15 तथा 6/13, 4/14 व 5/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212 दिनांक 11.1.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कलियाडा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कलियाडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत कलियाडा के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	549325	304997	854322	621303	233019
2014–15	233019	403565	636584	258559	378025
2015–16	378025	201864	579889	481180	98709

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत कलियाडा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	31631	2928847	2960478	2819404	141074
2014–15	141074	409134	550208	340199	210009
2015–16	210009	4930506	5140515	4180683	959832
दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					**₹1058541**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	बैंक खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	सभा निधि	20040016515	के0सी0सी0 रैत	98649
2	ZP/LDP/DWD	50055684449	के0सी0सी0 रजोल	36625
3	SDP	50055684427	के0सी0सी0 रजोल	221
4	MPLAD/SK Relief	50055684552	के0सी0सी0 रजोल	81402
5	TSC	50055684574	के0सी0सी0 रजोल	21658
6	IAY	50055684472	–यथोपरि–	2592
7	AAY/RAY	50055684483	–यथोपरि–	10280
8	13^{th} Rin	50055684370	–यथोपरि–	795922
9	NRHM	50055684529	–यथोपरि–	11132
			योग	**₹1058481**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹1058541
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹1058481
(ग)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि	₹60

5 दान के रूप में वसूली ₹50 को जमा न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि रसीद संख्या 640355 दिनांक 9.1.2014 के अन्तर्गत श्रीमती प्यारी पत्नी श्री शेर सिंह से ₹50 दान के रूप में प्राप्त किए गए

लेकिन इस राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः ₹50 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और स्वः स्त्रोत हेतु पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमों के विरूद्ध नौ बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार नौ बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

9 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.29 लाख को खाता "क" में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज ₹29448 को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

	वर्ष			
खाता संख्या	2013—14	2014—15	2015—16	कुल ब्याज (₹)
	5012	228	0	5240
50055684472	511	749	332	1592
50055684552	1852	675	1556	4083
50055684370	484	2025	2597	5106
50055684574	354	978	2031	3363
50055684529	283	415	434	1132
50055684483	553	590	637	1780
50055684449	932	1367	1426	3725
50055684427	760	679	1988	3427
जोड़	**10741**	**7706**	**11001**	**29448**

11 अनुदान ₹9.60 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹959832 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.32 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹231589 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹10.50 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1050000 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 सभा निधि से अनियमित भुगतान बारेः–

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सभा निधि से तकनीकी सहायक की कमीशन के रूप में अनियमित रूप से निम्न भुगतान किया गया था क्योंकि उक्त भुगतान किसी भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था तथा इस भुगतान सें सम्बन्धित न ही कोई दिशा–निर्देश/आदेश इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए।

1	वा0सं0 81 दिनांक 7.11.15	₹3400
2	वा0सं0 12 दिनांक 22.5.15	₹500
3	वा0सं0 16 दिनांक 26.5.15	₹1000
	कुल	**₹4900**

अतः बिना दिशा निर्देशों के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 (मनरेगा)

क्रय की गई ₹2.34 लाख निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज अपेक्षित है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** के अनुसार ₹234136 की निर्माण सामग्री का क्रय करने उपरान्त उसे भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया और न ही उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः

उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

16 मनरेगा से ₹1200 के अधिक भुगतान बारेः–

वाउचर संख्या 25 से 32 दिनांक 20.5.2015 के अन्तर्गत मै0 कार्तिक हार्डवयेर स्टोर को माह में कुल 964 बैग सीमेन्ट की ढुलवाई के ₹20 प्रति बैग की दर से कुल ₹19280 का भुगतान किया गया जबकि माह में **परिशिष्ट–4** में दर्शित 904 बैग सीमेन्ट की खरीद हुई है। अतः अधिक दर्शित 60 बैग (964(–)904) सीमेन्ट की ढुलवाई ₹20 प्रति बैग कुल ₹1200 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1200 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 78/2017—खण्ड—1—2286—2289 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कलियाडा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

ग्राम पंचायत कलियाडा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	51/2.11.13	मैसर्ज कार्तिक हार्डवेयर स्टोर द्वारा की गई रेत बजरी की आपूर्ति हेतु भुगतान	16538
2	मनरेगा	95/23.12.14	मै0 कार्तिक हार्डवेयर स्टोर द्वारा की गई रेत बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	18164
3	मनरेगा	96/23.12.14	–यथोपरि–	14300
4	मनरेगा	97/23.12.14	–यथोपरि–	20100
5	मनरेगा	98/23.12.14	–यथोपरि–	16898
6	मनरेगा	53/20.5.15	–यथोपरि–	26308
7	मनरेगा	54/20.5.15	–यथोपरि–	18404
8	मनरेगा	55/20.5.15	–यथोपरि–	20000
9	मनरेगा	56/20.5.15	–यथोपरि–	14193
10	मनरेगा	57/20.5.15	–यथोपरि–	15944
11	सभा निधि	14/26.5.15	–यथोपरि–	18840
12	सभा निधि	40/8.9.15	–यथोपरि–	31900
			कुल	**₹231589**

(परिशिष्ट–3)

ग्राम पंचायत कलियाडा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना ₹10.50 लाख के कार्य निष्पादन

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	मनरेगा	निर्माण कुहल गुरियाल बस्ती	150000
2	मनरेगा	निर्माण कुहल अर्जुन के घर से जोल तक	150000
3	मनरेगा	निर्माण कुहल चुनी लाल के घर से मिशरू राम की मशीन तक	150000
4	मनरेगा	निर्माण कुहल मोती राम के घर से सलयून तोड तक	150000
5	मनरेगा	निर्माण रास्ता किशन चन्द की दुकान से जगदीश के घर तक	150000
6	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड काठू बस्ती	150000
7	मनरेगा	निर्माण कुहल सुरिन्द्र की जमीन प्रेम चन्द के घर तक	150000
		कुल	**₹1050000**

(परिशिष्ट–4)

ग्राम पंचायत कलियाडा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना

(पैरा–15 के सन्दर्भ में) (मनरेगा)

क्रमांक	वा0सं0 / दिनांक	नागरिक आपूर्ति विभाग का बिल नं0	सीमेन्ट बोरी	दर	राशि
1	17 / 20.5.15	1326317	125	259	32375
2	18 / 20.5.15	1326340	124	259	32116
3	19 / 20.5.15	1326341	124	259	32116
4	20 / 20.5.15	1326342	124	259	32116
5	21 / 20.5.15	1326343	124	259	32116
6	22 / 20.5.15	1326345	99	259	25641
7	23 / 20.5.15	1326346	110	259	28490
8	24 / 20.5.15	1326347	74	259	19166
			योग	**904**	**234136**

G.P. kaliara